संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

कमांक 4/रा0ब0स0नि0/सेल–2/2018/ भोपाल, दिनांक / /2018

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषयः– राज्य बीमारी सहायता निधि योजनान्तर्गत मान्यता प्राप्त अस्पतालों के भुगतान एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के संबंध में।

संदर्भः– अतिरिक्त संचालक, (वित्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. का पत्र कमांक/6/बजट–2210/2018–19/80 भोपाल, दिनांक 04.05.2018

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा राज्य बीमारी सहायता निधि योजना कमांक 5868 को ग्लोबल किया गया है। इस सबंध में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :–

1. राज्य बीमारी सहायता निधि योजना के अन्तर्गत जिस भी अस्पताल की राशि भुगतान हेतु लंबित है, उसे राज्य बीमारी सहायता निधि के ग्लोबल मद से नियम अनुसार भुगतान किया जा सकता है।
2. जिन अस्पतालों के वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं इसके पूर्व के स्वीकृत प्रकरणों के उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है उन अस्पतालों को भविष्य में नवीन प्रकरण स्वीकृत नहीं किये जाये।
3. योजनान्तर्गत पूर्व में स्वीकृत प्रकरणों के समय–सीमा में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आप की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

संलग्नः–सदर्भित पत्र।

(डॉ. बी. एन. चौहान)
संचालक
स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।

पृ.कृ./रा0ब0स0नि0/सेल–2/2018/283 भोपाल,दिनांक 14/05/2018

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ ।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, (राजस्व), म.प्र.।
4. अतिरिक्त संचालक, वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं।
5. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य संयुक्त संचालक, म.प्र.।
6. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
7. प्रभारी एमआईएस, विभागीय बेबसाइट पर अपलोड करें।

संचालक
स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।